

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान गुरदीप सिंह बनाम राजनीत सिंह आदि
 प्रकरण संख्या 72, 2024 अन्तर्गत धारा 88/188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं ति जो इस आदे पालना में ज
24/25	वादी अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय प्राप्त। अन्तिम अवसर दिया जाता है। अन्यथा साक्ष्यवादी स्वतः वेद सप्रक्षी जाएंगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 29/09/25 को पेश हो।	
29/25	वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रूक-रूक कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का ब्यादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA अदम पेशवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विगति होकर गम्बर से काम होकर वापिस दफ्तर हो।	



सहायक कलक्टर (रज. प्रदेन)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्री करणपुर (श्री गंगानगर)